नि:शक्नतजनो के व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु एनएचएफडीसी की ऋण योजना

योजना का लक्ष्य ऐसे पात्र नि:शक्तजनो को शिक्षा प्रशिक्षण हेतु वित्तिय सहायता प्रदान करता है जो व्यवसायिक शिक्षा या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचलित करने वाले संगठन संस्थान द्धारा उपेक्षित आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखते है ।

योजना का कार्यान्वयन इस योजना का कार्यान्वयन एनएचएफडीसी की राज्य कार्यकारी संस्थाओ बैंको क्षेत्रीय ग्रमीण बैंको और अन्य संस्थाओ द्धारा किया जाएगा जिन्होने एनएचएफडीसी के साथ समझौता हस्ताक्षारित किया है ।

पात्रता मानदंड: एनएचएफडीसी की शिक्षा ऋण के अनुसार ।

पात्र पाठ्यक्रम

सरकार अथवा कंपनी /संस्था / संगठन द्धारा संचलित 2 माह से 3 वर्ष की अवधि तक के व्यवसायिक / दक्षता विकास पाठ्यक्रम जिन्हे राष्ट्रीय दक्षता विकास निगम या राज्य दक्षता मिशन / राज्य दक्षता मिशनो निगमो का समर्थन प्राप्त है तथा जिनमें सरकार / सरकार द्धारा प्रधिकृत संगठन द्धारा डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण पत्र जारी किया जाता है । इसमे राज्य स्तरीय बैकर्स कमेटी(एसएलबीसी) राज्य स्तरीय समन्वयन समिति (एसएलएलसी) अन्य दक्षता विकास पाठ्यक्रम / जोड़ सकती है ।

न्यूनतम आयु : आवेदन की तारीख को 18 वर्ष।

ऋण राशि: 2 लाख रूपये आवश्कता आधारित वित्त

निम्न खर्च हेतु ऋण पर विचार किया जाएगा:

- टयूशन कोर्स फीस
- परीक्षा/ पुस्तकालय/प्रयोगशाला शुल्क
- सावधानी जमा
- किताबो,उपकरणो तथा उपस्कारो की खरीद
- ऐसा कोई अन्य उचित व्यय जो किसी पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए आवश्यक हो
- बोर्डिग लाजिग
- आवश्कतानुरूप ऐसे उपकरणो पर व्यय जो किसी कोर्स को पूरा करने के लिए जरूरी हो।

मार्जिन : शून्य

ब्याज की दर : एनएचएफडीसी की शिक्षा ऋण योजना के अनुसार।

प्रोसेसिग चार्ज : शून्य

सिक्योरिटी :

कोई जमानत या तीसरे पक्ष की गांरटी नही ली जाएगी हालकि ऋण के दस्ताबेजो में छात्र के माता पिता भी उधारकर्ता के तौर पर रहेगे।

अधिस्थगन अवधि :

1 वर्ष की अवधि के पाठयक्रम के लिए -पाठयक्रम पूरा होने के 6 माह से
1 वर्ष की अवधि के पाठयक्रम के लिए - पाठयक्रम पूरा होने के 12 माह से।

चुकौती : पुर्नभुगतान प्रांरभ होने के सात वर्ष तक ।

बीमा : उधारकर्ता की आवश्कतानुसार वैकल्पिक रहेगा।

पूर्व भुगतानः उधारकर्ता पुनभुगतान प्रांरभ होने के बाद बिना किसी पूर्वभुगतान प्रभार के पूर्ण ऋण राशि की अदायगी कर सकता है।

अन्य शर्ते
इस योजना में भी वे निंवधन व शर्ते लागू होगी जो एनएचएफडीसी द्धारा भारत तथा विदेश में उच्च शिक्षा के लिए दिए जाने वाले ऋण में लागू होती है ।